



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112021-231317
CG-DL-E-24112021-231317

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4459]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943

No. 4459]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2021

का.आ. 4826(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 503- ऐ के किमी. 108.395 किमी. से 135.145 तक (डिजाइन श्रृंखला किमी 0.000 से किमी 15.800) प्रस्तावित सड़क के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) , (6) , (7) में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुको और गांवों से सम्बंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट भूखंड के संबंध में , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों का उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 503- ऐ के किमी. 108.395 किमी. से 135.145 (डिजाइन श्रृंखला किमी. 0.000 से किमी. 15.800) तक की भूमिका अर्जन ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला राजस्व कार्यालय होशियारपुर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH503(Extn.) के कि.मी. 108.395 से 135.145 तक	पंजाब	होशियारपुर	होशियारपुर	1 ब्रह्मजीत (373)

[फा. सं. NHAI/PD/PIU-JAL/NH-503A/Package-IV]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2021

S.O. 4826(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in cloumn (3) of the said Schedule relating to districts, taluk , villages mentioned in column (5), (6), (7) respectively of the said Schedule for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the National Highway No 503-A (Package- IV) including Hoshiarpur Bypass Km. 108.395 to Km. 135.145, (Design Chainage Km 0.000 to Km 15.800)in the State of Punjab.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 503A (Package - IV) Km. 108.395 to Km. 135.145, (Design Chainage Km. 0.000 to Km 15.800) in the State of Punjab.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Revenue Officer Hoshiarpur	108.395KM. To 135.145KM.	PUNJAB	HOSHIARPUR	Hoshiarpur	1 Brahmjit (373)

[F. No. NHAI/PD/PIU-JAL/NH-503A/Package-IV]

RAJESH GUPTA, Director